

DIPR/C/10429/2023

सा.न.व. वृत्त।सराहा

■ राजस्थान आवासन मण्डल ■

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत अटल नगर आवासीय योजना, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ एवं बड़ी सादड़ी आवासीय योजना, चित्तौड़गढ़ के लिए नवीन पंजीकरण योजना 2023 के अन्तर्गत प्राप्त पंजीकरण/आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त वरीयता निर्धारण लॉटरी जिला आवंटन समिति, चित्तौड़गढ़ द्वारा कम्प्युटर रेण्डम प्रणाली के माध्यम से दिनांक 04.08.2023 दोपहर 2.00 बजे से निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न की जाएगी :-

क्र. सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक, समय एवं स्थान
1	योग्य/अयोग्य आवेदको की पूर्णतया अस्थायी सूची का प्रदर्शन (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	26.07.2023 दोपहर 3.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	01.08.2023 दोपहर 3.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदको की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	02.08.2023 सायं 4.00 बजे
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)	04.08.2023 दोपहर 02.00 बजे से
5	संबंधित कार्यालय	परियोजना अभियंता (वरिष्ठ), 1-बी-48, 49, सैंती सेगवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, चित्तौड़गढ़, जिला- चित्तौड़गढ़

नोट :- 1. यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 3. अस्थाई सूची व स्थाई सूची एवं वरीयता लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी। 4. लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।